No. 23/05/2020 -R&R
Government of India
Ministry of Power
****

Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg,
New Delhi, 29th August , 2022

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Amendments to the Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding Process for Procurement of Round-The Clock Power from Grid Connected Renewable Energy Power Projects, complemented with Power from any other source or storage–Reg

The undersigned is directed to forward herewith the copy of Gazette notification dtd 26th August, 2022 on the matter of **Resolution on Amendments to the Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding Process for Procurement of Round-The Clock Power from Grid Connected Renewable Energy Power Projects, complemented with Power from any other source or storage.**

Encl:- as above

(Dr. P.K. Sinha)
Deputy Secretary to the Govt. of India
Tel: 011 2373 0265

To
Secretary, MNRE, New Delhi.

Copy to:

PS to Minister of Power & NRE, APS to Hon'ble MoSP, Sr. PPS to Secretary, PSO to CE(R&R), Ministry of Power

Copy also to:

Incharge, NIC, Ministry of Power for uploading on the website of Ministry of Power under 'New Notices"

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27082022-238430
CG-DL-E-27082022-238430

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 205] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 27, 2022/भाद्र 5, 1944
No. 205] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 27, 2022/BHADRA 5, 1944

विद्युत मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2022

किसी अन्य स्रोत अथवा भंडार से प्राप्त विद्युत से परिपूरित, संबद्ध ग्रिड से अक्षय ऊर्जा विद्युत परियोजनाओं से चौबीसों घंटे (राउंड द क्लॉक) विद्युत क्रय करने के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन

सं. 23/05/2020-आरएण्डआर.—1.0 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के उपबंधों के अंतर्गत किसी अन्य स्रोत भंडार से विद्युत से परिपूरित, संबद्ध ग्रिड से अक्षय ऊर्जा विद्युत परियोजनाओं से चौबीसों घंटे (राउंड द क्लॉक) विद्युत क्रय करने के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए दिशानिर्देशों को दिनांक 22 जुलाई, 2020 को भारत के राजपत्र (असाधारण) (भाग-I - खण्ड-1) में प्रकाशित संकल्प संख्या 23/05/2020-आरएण्डआर के द्वारा अधिसूचित किया गया है। इसके बाद, उक्त दिशा-निर्देशों को क्रमश: 03 नवंबर, 2020, 05 फरवरी, 2021 और 03 फरवरी, 2022 के संकल्प संख्या 23/05/2020-आरएंडआर के माध्यम से संशोधित किया गया।

2.0 दिनांक 03 नवंबर, 2020, 05 फरवरी, 2021 तथा 03 फरवरी, 2022 को संशोधित 22 जुलाई, 2020 के उक्त दिशानिर्देशों में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं:

2.1 बिंदु संख्या 4.1 पर पैरा को निम्नानुसार पढ़ा जाए:

"4.1 उत्पादक चौबीसों घंटे किसी भी अन्य स्रोत से विद्युत से परिपूरित आपूर्ति योग्य अक्षय ऊर्जा विद्युत की आपूर्ति करेगा, जिसमें वार्षिक स्तर पर कम से कम 90 प्रतिशत उपलब्धता बनाए रखने के साथ-साथ एक वर्ष में कम से कम ग्यारह महीनों मासिक आधार पर कम से कम 90 प्रतिशत उपलब्धता और पीक घंटों के दौरान भी कम से कम 90 प्रतिशत उपलब्धता रहेगी। प्रासंगिक सीईआरसी विनियमन के अनुसार आरएलडीसी द्वारा घोषित

पीक घंटे 24 घंटों में से चार घंटे होंगे। निर्धारित उपलब्धता को पूरा नहीं करने के लिए लगाया जाने वाला जुर्माना आपूर्ति नहीं की गई इकाईयों की संख्या के लिए निर्धारित टैरिफ के बराबर होगा।"

2.2 बिंदु संख्या 4.3 पर पैरा को निम्नानुसार पढ़ा जाए:

"4.3 उत्पादक एक वर्ष में कम से कम ग्यारह महीने के लिए मासिक आधार पर कम से कम 90 प्रतिशत उपलब्धता बनाए रखने के साथ-साथ 90 प्रतिशत की अपेक्षित न्यूनतम वार्षिक उपलबधता सुनिश्चित करने के लिए स्टोरेज को मिला सकता है। तथापि, वार्षिक रूप से, न्यूनतम 51 प्रतिशत ऊर्जा अक्षय ऊर्जा स्रोतों से प्रस्तावित की जाएगी। इस 51 प्रतिशत में स्टोरेज प्रणाली से प्रस्तावित ऊर्जा भी शामिल होगी, बशर्ते कि अक्षय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग स्टोरेज प्रणाली में ऊर्जा को स्टोर करने के लिए किया गया हो।"

2.3 बिंदु संख्या 6.4 पर पैरा को निम्नानुसार पढ़ा जाए:

"6.4 बोली मापदंड के रूप में भारित औसत लेवलीकृत टैरिफ: बोली मूल्यांकन प्रति यूनिट आरटीसी विद्युत की आपूर्ति के लिए भारित औसत लेवलीकृत टैरिफ होगा। खरीददार बोलियां करेगा जिसमें बोलीदाता रुपये/किलोवाट घंटे में प्रथम वर्ष के भारित औसत लेवलीकृत टैरिफ का उल्लेख करेगा। उद्घृत टैरिफ के चार भाग होंगे – निर्धारित घटक [अक्षय ऊर्जा (निर्धारित, गैर-अक्षय ऊर्जा (निर्धारित)] और परिवर्तनीय घटक [गैर-अक्षय ऊर्जा (ईंधन हेतु वृद्धिकारी) और गैर-अक्षय ऊर्जा (परिवहन हेतु वृद्धिकारी)] अक्षय ऊर्जा और गैर-अक्षय ऊर्जा की टैरिफ का निर्धारित घटक पीपीए की अवधि को प्रत्येक वर्ष के उद्घृत किया जाएगा। गैर-अक्षय ऊर्जा की परिवर्तनीय घटक शुरू होने की निर्धारित तारीख पर उद्घृत किया जाएगा। लेवलीकृत टैरिफ बोलीदाता द्वारा उद्घृत ईंधन के प्रकार के लिए सीईआरसी वृद्धिकारी संसूचकों का उपयोग कर प्राप्त की जाएगी और बोली दस्तावेजों में छूट के धारक का उल्लेख किया जाएगा। बोलीदाता के अक्षय ऊर्जा एवं गैर-अक्षय ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा का अनुपात जिसकी आपूर्ति करने का वह इच्छुक है, भी उद्घृत करना होगा। प्रति यूनिट आपूर्ति की भारित औसत लेवलीकृत टैरिफ पीपीए की अवधि के लिए अक्षय ऊर्जा स्रोतों एवं गैर-अक्षय ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा के अनुपात पर प्राप्त की जाएगी।

बोलीदाता का चयन न्यूनतम उद्घृत "भारित औसत लेवलीकृत टैरिफ" के आधार पर होगा। ई-रिवर्स नीलामी के बाद, न्यूनतम भारित औसत लेवलीकृत टैरिफ (जिसे एल1 टैरिफ कहा गया है) को उद्घृत करने वाले बोलीदाता (जिसे एल1 बोलीदाता कहा गया है) को उसके द्वारा प्रस्तावित की गई विद्युत की मात्रा का आबंटन किया जाएगा। यदि आबंटित विद्युत की मात्रा करार की जाने वाली विद्युत की कुल मात्रा से कम है, क्षमता आबंटन "बकिट फिलिंग के आधार पर किया जाएगा" अर्थात् एल1 दरों पर एल1 बोलीदाता द्वारा उद्घृत क्षमता पहले आबंटित की जाएगी, उसके बाद जब तक कि निविदा क्षमता पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाती है, अगले न्यूनतम बोलीदाता (जिसे एल2 बोलीदाता कहा गया है) द्वारा उद्घृत क्षमता उसके द्वारा उद्घृत दरों (जिसे एल2 दरें कहा गया है) और आगे इसी क्रम में इसका आबंटन किया जाएगा।

तथापि, आबंटन केवल उन बोलीदाताओं को किया जाएगा जिनकी बोली एल1 टैरिफ से पूर्व-परिभाषित "रेंज" के अंदर आती है, जैसा कि आरएफएस में निर्धारित है। इस प्रकार, बोलीदाताओं को टैरिफ के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद, परियोजना क्षमता केवल उन्हीं बोलीदाताओं को प्रदान की जाएगी जिनकी अंतिम मूल्य बोलियां रुपये/केडब्ल्यूएच के संदर्भ में में "एल1+x%" की सीमा के अंदर है, जबकि "x" का मान आमतौर पर दो(2) से तीन(3) तक होता है और इसे आरएफएस में तय किया जाएगा।"

2.4 बिंदु संख्या 7.1 पर पैरा को निम्नानुसार पढ़ा जाए:

"7.1 पीपीए अवधि: चूंकि पीपीए अवधि, निवेशक/आरटीसी-पीजी को वापस प्राप्त होने वाले निवेश की अवधि निर्धारित करके टैरिफ को प्रभावित करती है, इसलिए कम टैरिफ के लिए लंबी पीपीए अवधि की तरफदारी की जाती है। पीपीए अवधि शुरू करने की निर्धारित तिथि (एससीडी) की तारीख से या पूर्ण परियोजना क्षमता के शुरू होने की तारीख से, जो भी बाद में हो, 25 (पच्चीस) वर्ष की अवधि के लिए होगी। पीपीए को लम्बी अवधि जैसे 35 (पैंतीस) वर्षों के लिए भी निर्धारित किया जा सकता है, परंतु किसी भी स्थिति में, पीपीए दस्तावेज में पीपीए की अवधि का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। पीपीए अवधि की समाप्ति के बाद उत्पादकों को अपने संयंत्रों का प्रचालन करने की छूट है, यदि भूमि और बुनियादी अवसंरचना की मालिक एजेंसियों, संबंधित पारेषण यूटिलिटी और प्रणाली प्रचालकों के पास ऐसी व्यवस्थाएं हों।"